# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :शिविरा–मा/संस्था/सी–5/डीपीसी/अर्थशास्त्र, भूगोल व अन्य विषय/2020–21 (उर्दू) 1–35 दिनांक– 02.02.2021 के तहत् अनोखी मीणा व्याख्याता, उर्दू का डीपीसी पदस्थापन राउमावि सोजत सिटी, (221170) पाली किया गया।

उक्त पदस्थापन के विरूद्व श्रीमती अनोखी मीणा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1083/2021 अनोखी मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। उक्त अपील में माननीय अपील अधिकरण जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.02.2021 में अपीलार्थी श्रीमती अनोखी मीणा को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति के व्याख्याता पद पर जयपुर में कार्यरत होने एवं वृद्व सास–ससुर की देखभाल करने के आधार पर अपना पदस्थापन 01. राउमावि. वाटर वाक्स जयपुर 02. राउमावि. भटटा बस्ती, जयपुर 03. राबाउमावि. महाराजा छोटी चौपड, जयपुर 04. महात्मा गांधी राउमावि. आदर्शनगर, जयपुर 05. राउमावि. बासबदनपुरा, जयपुर 06. सरदार रामसिंह मेमोरियल राउमावि. पालडी मीणा, जयपुर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित में राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/1083/21/अनोखी मीणा/अभ्यावेदन/ दिनांकः– 05/07/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
02. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
03. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
04. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
05. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
06. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)